[श्री अर्जुन कुमार सेठी]

खर्च के इस महापर्व के दिन महीनों चलने वाली सरकारी कार्यालयों में क्रय करने की जटिल प्रक्रिया कुछ घंटों में ही पूरी कर ली जाती है। इससे केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ही नहीं होता, बल्कि वित्तीय अनुशासन में भी शिथिलता आ जाती हैं। अनेक प्रकरणों में अनियमित भुगतान हो जाते हैं तथा भीड़ के कारण इस आपाधापी में गबन की घटनाएं भी घट जाती हैं।

बजट पारित होने के बाद धनराशि का आबंटन छोटे-छोटे कार्यालयों तक काफी देर से पहुंचता है। तब तक मानसून आ जाने के कारण कई योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती। बजट प्रावधान समय पर मिल भी जाये, तो भी पुनर्नियोजन के कारण वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त में ही कार्यालयों को खर्च के लिये धनराशि प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में योजनाबद्ध रूप से धन व्यय नहीं हो पाता। व्यवस्था इस प्रकार की हो कि कर्मचारियों को किसी एक दिन देर रात तक दफ्तर खुला रख कर भुगतान का सिलसिला जारी रखने की विवशता न हो। वर्ष के अन्त में भारी धनराशि तथा अनियमित व्यय की तुलना में धन की वापसी को प्रोत्साहित किया जाना, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं होगा। दावों के भुगतान संबंधी नियमों में भी कुछ ऐसे उदार संशोधन किये जाने चाहिये, जिससे वर्ष के अन्त में उनके भुगतान की अनिवार्यता न रहे और शेष बचे दावों के भुगतान के लिये आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में उपयुक्त प्रावधान हो सके।

(vi) IRRIGATION FACILITIES FOR CHOTANAGPUR AREA.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति जी, जो मैंने नियम 377 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य दिया था उसमें इतना संशोधन कर दिया गया है कि उसे अब मैं पढ़ना उचित नहीं समझता हूं। छोटा नागपुर में अपरसकरी जलाशय योजना और तिलैया डैम डाईवर्शन योजना अगर बनती है तो उस क्षेत्र से लोगों का बहुत बड़ा अहित होगा। इनसे बीस हजार एकड़ जमीन डूब जायेगी, 60 गांव डूब जायेंगे और 150 ट्यूबवेल्स डूब जायेंग। यह योजना वहां की जनता के लिए बड़ी अहितकर हैं और वहां की जनता की आकांक्षाओं के प्रतिकूल हैं। इसलिये मैं इस वक्तव्य को नहीं पढ़ना हूं।**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत जो हम नोटिस देते हैं उनको संशोधित करने में उनकी मूल भावना को बदला जाता है। जब हमारे नोटिस की भावना को बदला जाता है उस वक्त कम से कम सम्बन्धित मेम्बर को कांफिडेंस में तो लेना चाहिये। एक तो आप के स्टाफ में हिन्दी जानने वाले कम हैं। हम हिन्दी में जो भाव व्यक्त करते हैं उसको अंग्रेजी में करके फिर उसे काट छांटा जाता है। इससे जिस उद्देश्य से हम नियम 377 के अन्तर्गत अपना नोटिस देते हैं उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। आपके सेक्रेटेरियेट को चाहिये कि जब भी वह हमारे नोटिस में काट-छांट करे तो हमें कांफिडेंस में लेवे और बतावे कि इस तरह की बात हम इसमें नहीं रखना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: I will bring it to the notice of the Speaker.

(vii) DIRECTIONS TO STATE GOVERNMENTS OF UTTAR PRADESH AND RAJASTHAN TO SUPPLY POWER TO FARMERS.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): The power supply to the farmers in Western U.P. and Rajasthan is hardly for 4 to 5 hours a day. This supply

**Text not complete.